भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4411
दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि का कम उपयोग

4411. श्री राजा राम सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि 2024-25 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के लिए आवंटित निधि का केवल 32% ही उपयोग किया गया तथा 70,163 करोड़ रुपये में से केवल 22,694 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;
(ग) सरकार का 2025-26 के दौरान घटाए गए आवंटन 67,000 करोड़ रुपये की निधि जो 2023-24 के दौरान किए गए व्यय से कम है, की स्थिति में पेयजल संकट तथा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती जल की कमी का समाधान किस प्रकार करने का प्रस्ताव है;
(घ) जेजेएम के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी, निर्माणाधीन तथा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा सूखा/जल की कमी वाले क्षेत्रों, जहां जेजेएम का कार्यान्वयन धीमा पाया गया है, के विशेष संदर्भ में निधि के उपयोग में सुधार लाने तथा परियोजना पूर्ण करने में तीव्रता लाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य जल का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 23.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.31 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.03.2025 तक,

देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.54 करोड़ (80.26%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

अगस्त 2019 में, मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 तक जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। इस विभाग ने 2023-24 तक 1,85,958 करोड़ रुपये का उपयोग किया था, जिससे 2024-25 में उपयोग के लिए शेष 22,694 करोड़ रुपये बचे थे। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर व्यय की उच्चतम सीमा के लिए केवल 22,694 करोड़ रुपये के शेष परिव्यय पर विचार किया गया है। आवंटित निधि के विरूद्ध लगभग पूरी निधि का उपयोग कर लिया गया है। इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को कुल वर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

(ग): जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित गांवों के लिए बहुमूल्य स्वच्छ जल को बचाने के उद्देश्य से राज्यों को दोहरी पाइपगत जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात् एक पाइप में स्वच्छ जल और गैर-पेय/बागवानी/शौचालय फ्लशिंग उपयोग के लिए दूसरे पाइप से शोधित ग्रेवाटर/अपशिष्ट जल की आपूर्ति वाली नई जल आपूर्ति स्कीम तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों के परिवारों को उनके घरों के अंदर विभिन्न नलों पर नल में लगने वाली जाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि पानी की अधिक मात्रा में बचत की जा सके।

राज्यों को स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का नवीकरण, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग आदि के लिए भी सलाह दी गई है ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान को लोगों की भागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और अनुरक्षण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन के तहत, राज्यों को मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों, आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का नवीकरण, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग, आदि जैसी स्रोत पुनर्भरण की सलाह दी गई है।

(घ): परिकल्पित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर, *अन्य बातों के साथ-साथ*, जल भंडारण, संवितरण प्रणालियों अथवा शुद्धिकरण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर लक्षित परियोजनाओं सहित अनेक परियोजनाएं साथ-साथ कार्यान्वित की जाती हैं। जल राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों का परियोजना-वार ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ङ): पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और उसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श और उन्हें अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी हेतु मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की आयोजना तथा कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइपगत जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****